


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही या मय इनामिद...

10²/₂₅

जवावली पेशा हुई। वकील समपक्ष उपर
उपस्थित। जवाब जज. पेशा हेतु कोर्ट
कमल डिप्ट गज। पत्रावली दिनांक
२१.५.२५ को पेशा हो।


10/3/25

21/5/25

पत्रावली पेशा हुई। वकील समपक्ष उपर
अवसं. २ से ५ द्वारा विगत ७ वर्षों से
जवाब पेशा नहीं, कई अवसर खिजा गये।
अब! जवाब अवसर बन्द किया जाता
है। बटल वकील छापी सूनी गयी।


21/5/25

05/5/25

पत्रावली पेशा हुई। वकील समपक्ष उपस्थित।
बटल को पत्र प/स २१२ RT Act नं. ०३९ R/१२
CPO के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध
रिवाज का अवलोकन किया गया। ग्राम
गैलाना पटवार हल्का गैलानी की वादग्रस्त
भारती खण्ड नं २५५, २५६, २८० व २८१ किला ४
रकबा ११-१३ बीजा का वारिवाधिक
में प्राची की प्राप्त होने एवं तम
प्रती का कथनोक्ति होने का कोई भी



हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

documentary and oral evidence प्रार्थी द्वारा प्रे-
नहीं किया गया है। ग्राम गैलाना की वर्तमान
सामग्री संवत् २०१५-१९ से वास्तव सामग्री खण्ड
२५५, २५६, २८० व २८१ प्रार्थी, अप्रावधान व अन्य
की सहवालेदारी से दूर है। It is well settled
legal positum है कि सामग्री भूमि से प्रत्येक
सहवालेदार का प्रत्येक भाग पर एक समान अधिकार
निहित होता है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर,
सामान्यतः किसी सामग्री भूमि से इससे सहवालेदार
के विरुद्ध अपवाद निषेधात्मक जारी नहीं की
जा सकती है। प्रकरण न तो प्रथम दृष्टया प्रार्थी
के पक्ष में लाबित है, ना ही सुविधा का
संतुलन लाबित है। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति
कारित होना भी जाहिर नहीं होता है।
उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं
प्राप्त साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का अपूरण
पुस २११ RT Act n.w.o. १९ R1 १२ CPC खारिज
किया जाता है। पत्रावली पैलम कुमार होकर
नम्बर से कम होकर सूचना के साथ
संतुलन ही ।



[Signature]
१०/५/१५
उपखण्ड अदालत
पिडवा, जिला मालवा (म.प्र.)